न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी — मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :— 13/2018 दायर तारीख :— 02.04.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कालूराम पुत्र शिवलाल जाति गुर्जर निवासी बास उदयसिंह, तहसील विराटनगर **—— वादी**

बनाम

1. बीरबल राम पुत्र पोखरराम जाति बलाई निवासी डाबडी तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल बास उदयसिंह तहसील विराटनगर
2. उप पंजीयक विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री गणपतलाल पंसारी, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.04.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बास उदयसिंह के खसरा नम्बर 1242/0.49, 1243/0.38, 1244/0.48, 1245/0.05, 1247/0.52, 1248/0.42, 1249/0.24, 1254/0.89, 1255/0.16, 1258/0.13 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 3.76 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी भूमि है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण ले रखा है तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के आदेश से निलामी सूचना निकली हुई कि दिनांक 05.04.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन निलाम होगी, निलामी में अजनबी व्यक्ति के खरीदने पर वादी की भूमि का कब्जा हस्तान्तरण नहीं हो, इसके लिए हस्तगत वाद कारण उत्पन्न हुआ है। मौके पर वादी खसरा नम्बर 1244/0.48, 1245/0.05, 1243/0.38, 1247/0.35 हैक्टेयर की काश्त करता है। अतः निवेदन है कि ग्राम बास उदयसिंह के खसरा नम्बर 1242/0.49, 1243/0.38, 1244/0.48, 1245/0.05, 1247/0.52, 1248/0.42, 1249/0.24,

1254/0.89, 1255/0.16, 1258/0.13 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 3.76 हैक्टेयर का कानूनी बंटवारा कर वादी को उसके हिस्से के खसरा नम्बर 1244/0.48, 1245/0.05, 1243/0.38, 1247/0.35 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर को वादी को बंटवारा दिया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैराकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 13 संवत् 2070—2073 आदि पेश किये गये।
4. प्रकरण दिनांक 10.04.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस वकील वादी व पैरोकार सरकार को सुना गया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 13 संवत् 2070—2073 वाके ग्राम बास उदयसिंह के खसरा नम्बर 1242/0.49, 1243/0.38, 1244/0.48, 1245/0.05, 1247/0.52, 1248/0.42, 1249/0.24, 1254/0.89, 1255/0.16, 1258/0.13 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 3.76 हैक्टेयर की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 465 दिनांक 22.10.2014 बेचान से बाबूलाल पुत्र जवानाराम हिस्सा 2/3 के स्थान पर बीरबलराम पुत्र पोखरराम हिस्सा 2/3 एवं शेष बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 की तामील आराजी मुतनाजा पर उसके नौकर द्वारा नहीं लेने पर आराजी पर दो गवाहान की मौजूदगी में चस्पानगी से करवायी गई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहा, जिसके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। यह भी कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा शाहपुरा से ऋण ले रखा है तथा उसके हिस्से तक पर निलामी कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रकरण तारीख पेशी दिनांक 10.04.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 24.04.2018 प्राप्त की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गई। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट काश्तकारी के कब्जे काश्त अनुसार है तथा दोनो पक्षकारान के आवागमन के लिए रास्ता मौजूद है। अतः प्रकरण में पक्षकारन के मध्य मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट बंटवारा किया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	कालूराम पुत्र शिवलाल जाति गुर्जर	1245/0.05, 1244/0.48, 1243/0.38, 1247/0.3433 हैक्टेयर किता 4 रकबा 1.2533 हैक्टेयर
2	बीरबलराम पुत्र पोखरराम जाति बलाई	1247/1/0.1767, 1242/0.49, 1248/0.42, 1249/0.24, 1254/0.89, 1255/0.16, 1258/0.13 हैक्टेयर किता 7 रकबा 2.5067 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त वादी के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 24.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी विराटनगर

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

कालूराम पुत्र शिवलाल जाति गुर्जर निवासी बास उदयसिंह, तहसील विराटनगर **—– वादी**

बनाम

1. बीरबल राम पुत्र पोखरराम जाति बलाई निवासी डाबडी तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल बास उदयसिंह तहसील विराटनगर
2. उप पंजीयक विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

—– प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 13/2018 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गणपतलाल पंसारी एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम बास उदयसिंह के खसरा नम्बर 1242/0.49, 1243/0.38, 1244/0.48, 1245/0.05, 1247/0.52, 1248/0.42, 1249/0.24, 1254/0.89, 1255/0.16, 1258/0.13 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 3.76 हैक्टेयर का कानूनी बंटवारा कर वादी को उसके हिस्से के खसरा नम्बर 1244/0.48, 1245/0.05, 1243/0.38, 1247/0.35 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर को वादी को बंटवारा दिया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। **सुना गया।** वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के प्रावधानों अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुरूप कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिस पर वादी सहमत है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	कालूराम पुत्र शिवलाल जाति गुर्जर	1245/0.05, 1244/0.48, 1243/0.38, 1247/0.3433 हैक्टेयर किता 4 रकबा 1.2533 हैक्टेयर
2	बीरबलराम पुत्र पोखरराम जाति बलाई	1247/1/0.1767, 1242/0.49, 1248/0.42, 1249/0.24, 1254/0.89, 1255/0.16, 1258/0.13 हैक्टेयर किता 7 रकबा 2.5067 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त वादी के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 24.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य..................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24.04.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।